29/11/18

परिवादी द्वारा० अदालत में मौखिक रूप से प्रार्थना की गई कि
पेश दस्तावेज को मूल रूप से लिए जाने का आदेश दिया जाए
तथा प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किया जाए
अतः आदेश होवे कि 29/11/18 को पेश हो

रामपुरा

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)